CODE OF CONDUCT FOR THE DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

1. INTRODUCTION:

Regulation 17(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 mandates NHB to lay down a code of conduct for all members of the Board of Directors and senior management. This code of conduct ("Code") shall be applicable to the members of the Board of Directors and the senior management. Duties of Independent Directors are also laid down to comply with the listing regulations.

2. DEFINITIONS:

1) Directors shall mean the members of the Board of Directors appointed by the Government of India under Section 6 of the NHB Act, 1987.
2) Code of Conduct shall mean this Code of Conduct
3) Compliance Officer shall mean the qualified Company Secretary of NHB .
4) Senior Management shall mean Scale IV officer and above.
5) Independent Directors shall mean non-executive directors of NHB.

3. APPLICABILITY OF THE CODE:

1) The Code applies to Directors and Senior Management of NHB.
2) The Independent Directors of NHB are subject to duties, which are set out in the Annexure of this code.
3) The Code has been formulated and approved by the Board, which is required to be strictly observed by the Directors and Senior Management of NHB for the governance of good corporate practices.
4) The Compliance Officer under the SEBI (LODR) Regulations, 2015 shall be the Compliance Officer under the Code, who will be available to answer any questions, provide clarification and shall help ensuring compliance with the Code.

4. CONDUCT:

Every person, to whom this Code is applicable, shall –

1) Comply with all applicable laws, regulations, confidentiality obligations and NHB's policies.
2) Conduct the affairs of NHB and perform his/her duties with due care, diligence, dignity, honesty and integrity and shall conform to the highest moralsand ethical standards and at all times, and act in good faith and in the best interest of NHB.
3) Not seek to influence any decision of the Board for any consideration, other than in the interest of NHB.
4) Use such degree of skill and knowledge, as may be reasonably expected from aperson with his / her knowledge or experience.
5) Act in a cooperative and respectable manner with his / her colleagues.

6) Avoid any personal or financial interests while dealing in the affairs of NHB.
7) Not commit any offence, act or omission resulting himself / herself to turn insolvent, or any offence involving moral turpitude.
8) Make reasonable efforts to attend Board meetings, meetings of the committees of the Board, where the person is a member.
9) Notify about his / her material personal interest & conflict of interest in any matter, and must not vote on any such matter.
10) Not make any decision about a matter before attending and participating in thedeliberations of the relevant meeting.
11) Disclose his/her concern or interest in any company or companies or bodies corporate, firms, or other association of individuals, which shall include the person's shareholding, at the first board meeting in every financial year or whenever there is change in disclosure already made.
12) Not participate in the discussions on any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases, the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting.

5. CONFLICT OF INTEREST:

The Directors and Senior Management shall not engage in any transactions, or engage in any practice directly or indirectly, which may be in conflict with the interest of NHB or prejudicial to NHB's interest. Every member of the Board of Directors and all senior management personnel of NHB are required to make disclosures to the Board of Directors relating to all material, financial and commercial transactions, where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of NHB.

6. CONFIDENTIALITY:

Every Director and Senior Management should maintain the confidentiality of information entrusted to him / her by NHB. NHB's confidential and proprietary information shall not be inappropriately disclosed or used. The confidential information is to be shared only on 'need to know' basis.

7. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS and NHB's POLICIES: Every Director and Senior Management shall comply with all applicable laws,rules, regulations and guidelines issued by the Government of India from time to time. Further they shall also comply with various policies, guidelines and codes formulated by NHB in compliance with the Listing Regulations or otherwise. Senior Management personnel, governed under the NHB Staff Regulations, shall ensure its compliance.

8. DECLARATION FOR COMPLIANCE WITH THE CODE:

Every Director and Senior Management shall affirm the compliance with the Code on an annual basis and shall sign a confirmation to that effect, as per the format prescribed from time to time.

9. HONESTY & INTEGRITY:

Every Director and Senior Management shall observe the highest standards of ethical conduct and integrity and shall work to the best of their ability and judgment. They shall act in good faith, responsibly, with due care, competence and diligence, without allowing their independent judgment to be subordinated. They shall act in the best interest of NHB and fulfil their fiduciary obligation.

10. ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT:

1) The Compliance Officer under the SEBI (LODR) Regulations, 2015 shall be the Compliance Officer for the purpose of this Code.
2) Each Board Member and Senior Management Personnel shall be accountable for fully complying with this Code.
3) NHB shall ensure confidentiality and protection to any person who has, in good faith, reported a violation or as suspected violation of law or of this Code or other NHB policies, or against any person who is assisting in any investigation or process with respect to such a violation.

DUTIES OF INDEPENDENT DIRECTORS

The duties of the Independent Directors shall be as follows:

1) Undertake appropriate induction and regularly update and refresh their skills,knowledge and familiarity with NHB;
2) Seek appropriate clarification or amplification of information and, where necessary, take and follow appropriate professional advice and opinion of outside experts;
3) Strive to attend all meetings of the Board of Directors and of the Board committees, they are members whereof;
4) Participate constructively and actively in the committees of the Board, in whichthey are chairpersons or members;
5) Where they have concerns about a proposed action, they should ensure that theconcerns are addressed by the Board/Committee;
6) Keep themselves well informed about the developments taking place in NHB, and the external environment in which NHB operates;
7) Not to unfairly obstruct the functioning of an otherwise proper Board or committee of the Board;
8) Pay sufficient attention and ensure that adequate deliberations are held before approving related party transactions and assure themselves that the same are in the interest of NHB;
9) Ascertain and ensure that NHB has adequate and functional vigil mechanism and that the interests of a person, who uses such mechanism, are not prejudicially affected on account of such use;
10) Report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of NHB's code of conduct or ethics policy; and
11) Acting within his/her authority, assist in protecting the legitimate interests of NHB, its shareholders and its employees.
12) Not to disclose confidential information, including commercial secrets, technologies, advertising and sales promotion plans, unpublished price sensitive information, unless such disclosure is expressly approved by the Board or required by law.

*****

निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता

1. परिचय:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 17(5) के तहत रा.आ.बैंक द्वारा निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता निर्धारित करना अनिवार्य है। यह आचार संहिता ("संहिता") निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू होगी। सूचीबद्धता विनियमों का पालन करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को भी निर्धारित किया गया है।

2. परिभाषाएं:

1) निदेशकों का अर्थ रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल के सदस्यों से होगा।
2) आचार संहिता का अर्थ इस आचार संहिता से होगा।
3) अनुपालन अधिकारी का अर्थ रा.आ.बैंक के योग्य कंपनी सचिव से होगा।
4) वरिष्ठ प्रबंधन का अर्थ स्केल IV अधिकारी और उससे ऊपर का होगा।
5) स्वतंत्र निदेशकों का अर्थ रा.आ.बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशकों से होगा।

3. संहिता की प्रयोज्यता:

1) यह संहिता रा.आ.बैंक के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।
2) रा.आ.बैंक के स्वतंत्र निदेशक कर्तव्यों के अधीन हैं, जो इस संहिता के अनुलग्नक में निर्धारित हैं।
3) संहिता बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है, जिसे अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के संचालन के लिए रा.आ.बैंक के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है।
4) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के तहत अनुपालन अधिकारी संहिता के तहत अनुपालन अधिकारी होगा, जो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने, स्पष्टीकरण प्रदान करने और संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

4. आचरण:

प्रत्येक व्यक्ति, जिसपर यह संहिता लागू होती है, उसे -

1) सभी लागू विधिकों, विनियमों, गोपनीयता दायित्वों और रा.आ.बैंक की नीतियों का पालन करना।
2) रा.आ.बैंक के मामलों का संचालन करना तथा अपने कर्तव्यों का उचित देखभाल, परिश्रम, गरिमा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ पालन करना तथा उच्चतम नैतिकता एवं नैतिक मानकों का पालन करना तथा हर समय सद्भावनापूर्वक तथा रा.आ.बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना।
3) रा.आ.बैंक के हित के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना।

4) ऐसे कौशल और ज्ञान प्रयोग करना, जैसा कि किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान या अनुभव के आधार पर यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।
5) अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक एवं सम्मानजनक तरीके से कार्य करना।
6) रा.आ.बैंक के मामलों में कार्य करते समय किसी भी व्यक्तिगत या वित्तीय हितों से बचना।
7) किसी भी अपराध, कार्य या चूक के परिणामस्वरूप स्वयं को दिवालिया होने या नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध को न करना।
8) बोर्ड की बैठकों, बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए उचित प्रयास करना, जहां वह व्यक्ति सदस्य है।
9) किसी भी मामले में अपने भौतिक व्यक्तिगत हित और हितों के टकराव के बारे में सूचित करना, और ऐसे किसी भी मामले पर मतदान नहीं करना।
10) प्रासंगिक बैठक के विचार-विमर्श में भाग लेने और भाग लेने से पहले किसी मामले के बारे में कोई निर्णय न लें।
11) किसी भी कंपनी या कंपनियों या निगमित निकायों, फर्मों, या व्यक्तियों के अन्य संघ में जिसमें व्यक्ति की शेयरधारिता शामिल होगी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली बोर्ड बैठक में या जब भी पहले से किए गए खुलासे में कोई परिवर्तन होता है, अपनी चिंता या रुचि का खुलासा करना।
12) किसी भी विषय पर चर्चा में भाग नहीं लेना जिसमें हितों का कोई टकराव मौजूद है या उत्पन्न होता है, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा, और ऐसे मामलों में, इसका खुलासा किया जाएगा और बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।

5. हितों का टकराव:

निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं होंगे, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अभ्यास में शामिल नहीं होंगे, जो रा.आ.बैंक के हित के विरोध में हो सकता है या रा.आ.बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकता है। निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य और रा.आ.बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को निदेशक मंडल के समक्ष उन सभी महत्वपूर्ण, वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देनों के बारे में जानकारी देनी होगी, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, और जो रा.आ.बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव पैदा कर सकते हों।

6. गोपनीयता:

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन को रा.आ.बैंक द्वारा उसे सौंपी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। रा.आ.बैंक की गोपनीय और स्वामित्व वाली जानकारी का अनुचित रूप से खुलासा या उपयोग नहीं किया जाएगा। गोपनीय जानकारी केवल 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा की जाएगी।

7. लागू विधिकों और रा.आ.बैंक की नीतियों का अनुपालन:

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी लागू विधिकों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन में या अन्यथा रा.आ.बैंक द्वारा तैयार की गई विभिन्न नीतियों, दिशानिर्देशों और संहिताओं का भी पालन करेंगे। रा.आ.बैंक कर्मचारी विनियमों के तहत शासित वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. संहिता के अनुपालन हेतु घोषणा:

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे और समय-समय पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार उस आशय की पुष्टि पर हस्ताक्षर करेंगे।

9. सत्यनिष्ठा एवं अखंडता:

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन नैतिक आचरण और अखंडता के उच्चतम मानकों का पालन करेगा और उनकी क्षमता व निर्णयानुसार कार्य करेगा। वे अपने स्वतंत्र निर्णय को गौण किए बिना सद्भावनापूर्वक, जिम्मेदारी से, उचित देखभाल, क्षमता और परिश्रम के साथ कार्य करेंगे। वे रा.आ.बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे और अपने प्रत्ययी दायित्व को पूरा करेंगे।

10. आचार संहिता का प्रवर्तन:

1) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के तहत अनुपालन अधिकारी इस संहिता के प्रयोजन के लिए अनुपालन अधिकारी होगा।
2) प्रत्येक बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता का पूर्ण अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3) रा.आ.बैंक किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जिसने सद्भावनापूर्वक विधि या इस संहिता या अन्य रा.आ.बैंक नीतियों के उल्लंघन या संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्ट की है, या ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसे उल्लंघन के संबंध में किसी जांच या प्रक्रिया में सहायता कर रहा है।

****किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।***

*****